



क्रमांक 466 / बै.प्र. / सभा / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30.12.2022

कार्यालयीय ज्ञाप.

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 293 / सभा / बै.प्र. / 2022 बिलासपुर दिनांक 11.05.2022 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की सभा में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

2. 10(5)(ii)(12) विभागों के तीन विभागाध्यक्ष, जो संकायाध्यक्ष या आचार्य नहीं हैं, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

1. प्रो0 ब्रजेश तिवारी, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग  
के स्थान पर

डॉ0 रोहित राजा, सह-आचार्य, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

*[Handwritten Signature]*

कुलसचिव (कार्यवाहक)

*[Handwritten Signature]*

पृ0 क्रमांक 467 / बै.प्र. / सभा / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30.12.2022

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. सभा के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)

*[Handwritten Signature]*